(3)

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/निदे0 (छात्रावास संधारण)66–24/2018– 20

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक(मु0)
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग।

पटना–15, दिनांक– 06.07.18

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति योजना का लाभ देने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से बी0पी0एल0 दर पर मासिक आवंटन का Revolving Fund के रूप में तीन माह की अग्रिम राशि के रूप में अनुसूचित जाति के लिए ₹11,70,339/– एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹79,536/– अर्थात कुल ₹12,49,875/– हजार (बारह लाख उनचास हजार आठ सौ पच्चहत्तर रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति योजना का लाभ देने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से बी0पी0एल0 दर पर मासिक आवंटन का Revolving Fund के रूप में तीन माह की अग्रिम राशि के रूप में अनुसूचित जाति के लिए ₹11,70,339/– एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹79,536/– अर्थात कुल ₹12,49,875/– हजार (बारह लाख उनचास हजार आठ सौ पच्चहत्तर रू0) मात्र की स्वीकृति पत्रांक– 19 दिनांक– 06.07.18 द्वारा प्रदान की है। तदनुरूप सम्पूर्ण स्वीकृत राशि अनुसूचित जाति के लिए ₹11,70,339/– एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹79,536/– अर्थात कुल ₹12,49,875/– हजार (बारह लाख उनचास हजार आठ सौ पच्चहत्तर रू0) मात्र आवंटित की जाती है।

2– आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण– उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44-2225012770101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0101–शिक्षा –विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या –44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी पदाधिकारी सहायक निदेशक(मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर राशि को **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम** के मुख्यालय द्वारा संचालित बैंक खाता संख्या–6282639495, इण्डियन बैंक, कंकडबाग शाखा, पटना IFS CODE NO-IDBI0000K196, TDPS में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम**, पटना

द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में विभागीय **संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018** के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली योजना पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

5– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

6.7.18

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–3/निदे0 (छात्रावास संधारण)66–24/2018– 20 पटना, दिनांक– 06.07.18

प्रतिलिपि:– (1) महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.7.18

सरकार के सचिव।